F.No.12-22/2023-RHTC

193331/2023/RHTC-DGHS

मि. सं. 12-22/2023-ग्रा. स्वा/
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र

नजफ़गढ़, नई दिल्ली-110043
दिनांक: 20.06.2023

नीलामी सूचना

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 चार पुरानी टॉयटा क्वालिस गाड़ियों DL-9CG 9780, DL-9CG 9781, DL-9CG 9782 और DL-9CG 9783 मॉडल- 2002, की "जैसा है जहाँ है" के आधार पर निपटान हेतु सील बंद कोटेशन आमंत्रित करता है। गाड़ियों का निरीक्षण दिनांक 10 जुलाई , 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के बीच में किया जा सकता है। कोटेशन फॉर्म, विस्तृत नियम और शर्तों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन की वैबसाईट- www.dghs.gov.in पर उपलब्ध है। कोटेशन, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ में स्थित टेंडर बॉक्स में 14 जुलाई 2023 को व उससे पहले अपराह्न 5:00 बजे तक जमा की जा सकती है। समय से जमा की गई कोटेशन को दिनांक 17 जुलाई , 2023 को अपराह्न 2.30 बजे खोला जाएगा।

(डॉ. जी॰ कौशल्या)
निदेशक

F.No.12-22/2023-RHTC

193331/2023/RHTC-DGHS

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली-110043 की पुराने गाड़ियों के निपटान से संबंधित नियम और शर्तें।

1. इच्छुक पार्टियॉ गाडियों के लिए अपना अधिकत्तम मूल्य सील बंद लिफाफे में दिनांक 14 जुलाई , 2023 अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन, जरूरी दस्तावेज और बयाना राशि जमा (EMD) डी.डी./पे ऑर्डर अंदर के सिल बंद लिफाफे में होने चाहिए और इस लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में बंद करके ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली में स्थित टेंडर बॉक्स में डाला जाए। दोनों लिफाफों पर बड़े-बड़े और साफ अक्षरों में **"ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ की पुरानी गाड़ियों के निपटान हेतु कोटेशन"** लिखा होना चाहिए।

2. गाड़ियों का निपटान "जैसा है जहाँ है" के आधार पर होगा औप इनकी गारंटी अथवा योग्यता व कुशलता का प्रमाण पत्र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ के द्वारा नहीं दिया जाएगा। गाड़ियों की स्थिति का निरीक्षण दिनांक 10 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच में परिवहन अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ से संपर्क कर किया जा सकता है। टेंडर फॉर्म, नियम और शर्तों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन की वैबसाईट- www.dghs.gov.in से डाऊनलोड़ किया जा सकता है।

3. चारों वाहनों की नीलामी का आधार मूल्य 1,45,600/- (रुपए एक लाख पैंतालीस हजार छह सौ मात्र) @ रु. 36400/- (छत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) प्रति वाहन होगा।

4. कोटेशन के साथ ₹ 4,500/- (रुपये चार हज़ार पाँच सौ मात्र) सभी चार वाहनों की बयाना राशि (earnest money) भी संलग्न की जानी चाहिए। बयाना राशि "PAO, DGHS, NEW DELHI" के नाम देय बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा की जाएगी। कोटेशन के साथ बैंक ड्रॉफ्ट अवश्य संलग्न किया जाए अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अधिकतम कीमत के सफलतम टेंडरदाता द्वारा नियत समय (सक्षम प्राधिकारी द्वारा सफलतम टेंडरदाता को प्राप्ति की सूचना देने के सात दिनों के अन्दर) पर गाड़ियों कि कीमत जमा नहीं किए जाने की स्थिति में बयाने की राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी टेंडरदाता द्वारा टेंडर वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. सभी (सफल और असफल) टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) गाड़ियों की बिक्री की प्रक्रिया पूर्ण होने पर लौटा दी जाएगी।

6. बिकी हुई गाड़ियों की सपुर्दिगी सफलतम टेंडरदाता के द्वारा आवासिय स्थिति की जानकारी से संबंधित दस्तावेज (व्यक्ति विशेष की स्थिति में- जैसे आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आदि और किसी फर्म के लिए उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र) के जमा करने के उपरांत की जाएगी।

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम टेंडरदाता की घोषणा के बाद सफल टेंड़रदाता को विक्रय की गई गाड़ियों को सात दिनों के अंदर संस्थान से ले जाना पड़ेगा। गाड़ियों को ले जाने के लिए कोई भी सहायता/ परिवहन सुविधा इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएकी। बेची गई गाड़ियों को सरकारी अवकाश, शनिवार और रविवार को ले जाने की अनुसति नहीं दी जाएगी।

8. सफलतम टेंडरदाता अपने खर्च पर गाड़ियों का पंजीकरण अपने नाम पर जल्द से जल्द कराने के लिए जिम्मेदार होगा। विक्रय की गई गाड़ियों का खरीददार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

परिवहन प्राधिकरण द्वारा मान्य मोटर वाहन अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानो और कानून के अनुसार सभी जरूरी कागजी कार्रवाई काराने का जिम्मेदार होगा। यह कार्यालय खरीददार द्वारा इस संदर्भ की कई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. बोली जमा करने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाली फर्मों की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

10. ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नज़फगढ़ सभी टेंडर या किसी एक समपूर्ण टेंडर अथवा उसके किसी भाग को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखता है।

11. असफल टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) सफल होने वाले टेंडरदाता (H1) का नाम घोषित होने की तिथि के अधिकतम छः सप्ताह के अंदर वापिस कर दी जाएगी।

12. टेंडरदाता के द्वारा अपना पूरा नाम/फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम, अपने पिता का नाम, डाक का पता, टेलीफोन और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी।

13. किसी भी तरह के विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

14. यदि अधिकतर मूल्य लगाने वाली फर्म अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है तो संविदा (contract) को रद्द कर दिया जाएगा और टेंडरदाता की बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, दूसरी अधिकतम मूल्य लगाने वाली टेंडरदाता फर्म (H2) को अनुबंध की शर्तों को पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

15. टेंडर (निविद) फॉर्म प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। छायाप्रति या अहस्ताक्षरित कोटेशन अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में टेंडर (निविदा) को रद्द कर दिया जाएगा।

16. टेंडरदाता फर्म किसी भी असत्य व गलत सूचना देने और उससे होने वाली परेशानी अथवा नुकसान के लिए स्वंय जिम्मेदार होगी।

17. कोटेशन अनुलग्नक-1 में निर्धारित टेंडर फार्म के अनुरूप होना चाहिए।

(डॉ. जी॰ कौशल्या)
निदेशक

F.No.12-22/2023-RHTC

193331/2023/RHTC-DGHS

अनुलग्नक-1

पुरानी गाड़ियों के निपटान के लिए कीमत (मूल्य) लगाने से संबंधित टेंडर फॉर्म (नियत तारीख 14.07.2023 को अपराह्न 05:00 बजे)

बयाना राशि	₹ 4,500/- (रुपये चार हज़ार पाँच सौ मात्र)
डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर का ब्यौरा	डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर की संख्या:
	जारी करने की तिथि:
	जारी करने वाले बैंक का नाम:
	बैंक की शाखा का स्थान:
टेंडरदाता का नाम	
पता	
फोन नं/मोबाईल नं	

1. टेंडरदाता द्वारा दिया गया पता पूर्ण और प्रमाण के साथ होना चाहिए (आधार कार्ड/राशन कार्ड/पहचान पत्र/नवीनतम टेलिफोन य़ा बिजली का बिल/बैंक पासबुक आदि की सत्यापित प्रति)। टेंडरदाता को टेंडर से संबंधित प्रत्येक सूचना उसके द्वारा दिए गए पते पर ही दी जाएगी।

2. मैं/हम, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली द्वारा नीलामी के माध्यम से बेची जा रही पुरानी गाड़ियों के लिए अपनी अधिकतम कीमत अंकित कर रहा हूं/रहे हैं जो इस प्रकार है:

क्रम सं.	गाड़ी की पंजीकरण संख्या	मॉडल (नमूना)	निर्माण तिथि	पंजीकरण तिथि	अधिकतम कीमत (रुपये मे)
1.	DL 9CG 9780	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
2.	DL 9CG 9781	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
3.	DL 9CG 9782	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	
4.	DL 9CG 9783	Qualis 2-4D	12/2002	10.08.2005	

3. मैंने/हमनें, नीलामी, बयाना राशि आदि से संबंधित सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और इसका पालन करूंगा/करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली द्वारा लिया गया निर्णय मुझ/हम पर बाध्य होगा।

4. यदि मुझे/हमें सफल घोषित किया जाता है तो मेरे/हमारे और निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ के बीच का अनुबंध दिनांक 14.07.2023 की नीलामी सूचना मि.स.12-22/2023-ग्रा.स्वा./__ में निर्धारित सभी टेंडर सें संबंधित नियम और शर्तों में से सभी या किसी एक या उसके किसी भाग को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में बयाना राशि को जब्त किए जाने की सहमति देता हूं/देते हैं।

5. मैं/हम, यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल प्रमाणिक/विधियुक्त तरीके से किया जाएगा।

हस्ताक्षर
(नाम)

स्थान:
तारीख: